10. Salary, allowances etc. of the Director.—The Director's pay shall be fixed in level 14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 - 2,18,200) plus allowances and other benefits, as are admissible to an officer of equivalent rank in the Government of India:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

- 11. **Travelling Allowances.** The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Institute or on the expiry of his term with the Institute to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.
- 12. **Leave Sanctioning Authority**.— The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.
- 13. Official visits abroad.— Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.
- 14. **Facility for medical treatment**.— The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.
- 15. **Accommodation.** The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.
- 16. **Facility of conveyance**.— The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government of India.

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V]

RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 824(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2020 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

- 3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव**:-(1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा।
- (2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा।
- 4. संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार और सुपुर्द करना:- (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।
- (2) प्रत्येक वर्ष, 31 जुलाई के पश्चात नहीं, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा ।
- (3) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा संस्थान के यथा सत्यापित विधिवत् रूप से लेखा-परीक्षित खातों के वार्षिक विवरण सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक द्वारा अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी ताकि इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
- (4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे।
- 5. भारत सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता- भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा।

प्ररूप 'क'
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

(रकम रुपए में)

	(रकम रुपए म)					
	अनुसूची	31.03	31.03			
पूंजी निधि और दायित्व						
पूंजीगत निधि	1.					
मूल्यहास निधि:	6.					
निर्धारित धनराशि:						
	2.					
अनुदान और अभिदान:						
नए एनआईडी के लिए अनुदान	3.					
वर्तमान दायित्व:	4.					
	5.					
कुल		0	0			
संपत्ति						
अचल संपत्ति: (कीमत पर)	6.					
निवेश: (कीमत पर)	7.					
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .:	8.					
आय और व्यय खाता						

	9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान:	
तारीख:	

निदेशक

प्ररूप 'ख' [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 31मार्च को समाप्त के लिए आय और व्यय लेखा

(रकम रुपए में)

			(रकम रुपए में)
	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
फीस:	10.		
	10.		
सेवा प्रभार:	44		
	11.		
अनुदान:			
	12.		
अर्जित ब्याज:			
	13.		
अन्य आय:			
· 0 - 00 2 - · · · 0 -			
पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यह्रास की हद तक:			
मूरवहास भा हद तभ.	1.		
कुल (क)			0
युग्प (भग)		0	0
व्यय			
ञ्चय -			
स्थापन व्यय:			
(जागा ज्यप.	14.		
अन्य प्रशासनिक व्यय:			
91.4 AMMIN 11 -44.	15.		
परियोजनाओं पर खर्च:			
	11.		
ब्याज / बैंक प्रभार:			
मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.)			
	6.		
विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	U.		
	16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)			1

लखा क भाग रूप म टिप्पाणया -17	
स्थान:	
तारीख:	

अनुसूची 1 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची पंजीगत निधि

पूजागत निध		
ब्यौरे	31.03	31.03
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि		
1-4को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से		
स्थानांतरित राशि ।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि		
1-4को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0
		0} 0

निदेशक

अनुसूची 2 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

	निधीरत निधिया												
क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख01.04 को	जमा किया गया ब्याज	अन्य जमा	विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	तारीख31.03को अंतिम अतिशेष						
		आरंभिक अतिशेष											
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए						

भारत का राजपत्र : असाधारण

कुल योग	0	0	0	0	0	0
पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची -3 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

						١
ताराख ३१	माच	को	तलनपत्र क	भागरूप म	अतसच	ı
1111901	,		garan i	11111 1 1 1	21 3 7 1	

अनदान और अभिदाय

			अनुदान आर	्ञागदाव				
क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख01.	जमा किया		विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	31.03 को अंतिम	
संख्या		04 को	गया अनुदान	अनावर्ती	आय और व्यय	अन्य	ाटप्पण	का आतम अतिशेष
		आरंभिक अतिशेष		व्यय	लेखा को अंतरित	विकलित		
		आतशप रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
		, , ,	, , ,	, ,	` ' ' `	, , ,		, , ,
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03तक जमा अनुदान	31.03तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04 तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	अनावर्ती व्यय	विकलित रकम विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी /एनबीसीसी को अंतरित	अन्य विकलित	31.03 को अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना एनआईडी									

	(हरियाणा)					
	कुल					
	पूर्ववर्ती वर्ष					

अनुसूची-5 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

			_		· ·
नामात ४	21 HTT	करा व	स्त्रज्ञात क	भागकता ।	т этапат
पाराख उ) I TIY.	 4111 (1	1974791	4111604 4	न जनस्य।

वर्तमान दायित्व

अतमान पावित्व		
ब्यौरे	31.03	31.03
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारीपरियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

	राष जा नाय,गा पुलनपत्र क नागरूप न जनुसूचा								<u> </u>			
क्रम ·	ब्यौरे		सक	ल ब्लॉक			मू	ल्यह्रास		नेट ब्लॉक		
संख्या												
		01.04को	जोड़	बिक्रय /	31.03_को	01.04_को	वर्ष	बिक्रय /	31.03_को	31.03_को	31.03_को	
				समायोजन			के	समायोजन				
							लिए					
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	
क.	स्थावर											
	सम्पत्तियां											
1.	(I) भूमि											
	1 का उप कुल											
2.	एनआईडी											
۷.	परिसर के											
	भवन											
	(1 + 2) का											
	उप-कुल											
ख.	चल संपत्तियां											
1.	मशीनरी,											
1.												
	उपस्कर और											
L	औजार											

69

भारत का राजपत्र : असाधारण

2. फर्नीचर और फिक्सचर 3. कंप्यूटर और पेरीकेरल्स 4. स्टाफ पृल् यान 5. पुस्तकालय पुस्तकें ख के उप कुल जारी पूंजीगत कार्य ग का अप कुल योग ग के उप कुल पूर्ववर्ती वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष								
4. स्टाफ पूल यान . 5. पुस्तकालय पुस्तकें . ग. जारी पूंजीगत कार्य . ग के उप कुल . ग के उप कुल . कुल योग .	2.	फर्नीचर और फिक्सचर						
4. स्टाफ पूल यान . 5. पुस्तकालय पुस्तकें . ग. जारी पूंजीगत कार्य . ग के उप कुल . ग के उप कुल . कुल योग .	3.	कंप्यूटर और पैरीफैरल्स						
ग. जारी पूंजीगत कार्य () .	4.	स्टाफ पूल यान						
ग. जारी पूंजीगत कार्य () .	5.	पुस्तकालय पुस्तकें						
ग के उप कुल कुल योग		ख के उप कुल						
कुल योग	ग.	जारी पूंजीगत कार्य						
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग								
कुल योग पूर्ववर्ती वर्ष		ग के उप कुल						
कुल योग पूर्ववर्ती वर्ष			_					
पूर्ववर्ती वर्ष		कुल योग						
		पूर्ववर्ती वर्ष						

निदेशक

अनुसूची-7 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03	31.03
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां,ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03	31.03
	रूपए	रूपए

क. वर्तमान आस्तियां:	
i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)	
ii) नकद अतिशेष	
iii) बैंक अतिशेष	
क) चालू खाते के साथ	
उप-कुल (क)	
ख) बचत खाते में	
उप-कुल (ख)	
उप-कुल (क) + (ख)	
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में	
उप-कुल (ग)	
उप कुल - III (क + ख + ग)	
कुल (+ +)	

अनुसूची -8 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि ...

ब्यौरे	31.03	31.03
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
i. ऋण:		
क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

निदेशक

अनुसूची-9
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03	31.03
	रूपए	रूपए
01.04को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का व्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

अनुसूची-10 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20	20
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा

्संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गैर योजना) 20 ___- 20_ 20_ _-20 20_ _-20 ब्यौरे परियोजना परियोजना परियोजना परियोजना प्राप्तियां प्राप्तियां व्यय व्यय रूपए रूपए रूपए रूपए कुल

निदेशक

अनुसूची-12 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

		,	$\overline{}$		_		7.	0
तारीख	31	मार्च	 का	तलनपत्र	क	भागरूप	Ħ	अनसची
111 11 31	٠.	,	 	3.1.1.1	4.		٠,	-13811

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

9		
ब्यौरे	20	20
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20	20
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20	20
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		आवर्ती खर्च का कुल
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						

भारत का राजपत्र : असाधारण

2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

	अन्य :	प्रशासनिक खर्च				
					20	20
ब्यौरे	गैर-योजना योजना आवर्ती खर्च आवर्ती खर्च			र्च कुल		गैर-योजना और योजना के आवर्ती
	आवसा व व	अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		खर्च का कुल
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चें						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

कर दिया गया है, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है.

अनुसूची-16 [नियम 4 का उपनियम (1) देखिए] राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, हरियाणा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि		
SICIAN ALLANG THE A CALIMITY CHA		
ब्य ौ रे	20	20
	<u> </u>	<u> </u>
	(4.15)	4.36
कुल	0	0
		निदेश
अनुसूच	ची-17	
[नियम 4 का उर्पा	नियम (1) देखिए]	
राष्ट्रीय डिज़ाइन स	संस्थान, हरियाणा	
संसद के अधिनियम द्वारा		
31मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची	_	
लेखा के भागरूप में टिप्पण		
1.महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:		
(क)लेखा कन्वेंशन:		
वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए ग	गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय	। और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी
प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है	Ţ	
(ख)विनिधान:		
(ग)लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है। स्थावर संपत्तियां:		
स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, ग	माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य	आकस्मिक व्यय भी शामिल है।
(घ)सरकारी अनुदान:		
(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकि		
(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंज	जी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।	
(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सी	ोमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में म	गना जाता है।
(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता है और तुलनपत्र में	में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता है.	
(ड.)विदेशी मुद्रा लेनदेन:		
विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय		में धारित आरबीआई दर पर
वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल ज	जाती है।	
(च)चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:		2
प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से क	कम तुलनपत्रमें दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापा	र के सामान्य पाठ्यक्रम एक मृ
है। (छ)आय-कर:		
(अ)आय-चर. संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है।	। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में न	टीं दिया गया है।
(ज)सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ	in and the trials the order control and the	611441 141 61
	आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन प	ार आय एवं व्यय खाता के लिए
	निधि में योगदान देता है।	
कमचारिया के लिए टामनल छुट्टा नकदोकरण लाभ नकदा के आधार पर शुल्क लिया जाता है और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी र् 2.आकस्मिक देयताएं रुपए (पिछले वर्ष रुपए		

5.पिछल वर्ष के लिए इसी आकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया है, जहां कहीं आवश्यक है।
6.अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।
स्थान:
तारीख:

[फा.सं.पी-24024/53/2020-आईपीआर-V] रविंद्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020.

- **G.S.R. 824 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with subsection (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the National Institute of Design, Haryana (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);
 - (b) 'Form' means Form annexed to these rules;
 - (c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.
 - (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Maintenance of proper accounts and records.**—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.
 - (2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.
- 4. **Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute**.—(1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form 'A' and Form 'B' and the Schedules annexed to these rules.
 - (2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st day of July every year.
 - (3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th day of September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.
 - (4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.
- 5. **Separate ledger accounts for funds received from the Government of India**.—The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form 'A'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31 st MARCH,		(Amour	nt in Rs.)	
	SCHEDULE	31 03	31.03	

CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		
GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS	1		
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		
INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0
For NOTES forming part of Accounts	17		
Place:			
Date:			

Form 'B' [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, ____

(Amount in Rs.)

			(7 miount in 105.)
	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND	1		

TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:			
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		
AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER	9		
TO BALANCE SHEET (A-B)			

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place:	
Date: _	

Director

Schedule-1

[See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming	part of the Balance	Sheet as at 31 st March	

CAPITAL FUND

Particulars	31.03	31.03
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund		
Balance as on 1-4		
a. Add:i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for		
meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under		
construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account		
of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of	0	0
depreciation on assets acquired out of Capital Funds		
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture		
sold/discard during the year.		

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve		
Balance as on 1-4		
Total (a+b)	0	0

Director

Schedule–2 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part o	f the Balance Sheet as at 31st 1	March,
-------------------------	----------------------------------	--------

EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

Schedule-3 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31 st March,	
--	--

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance
		as on 01.04		Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.			As on 31.03
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.

	_		_	_		_	
Total	0	0	0	0	0		0
Previous year							

Schedule-4 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March,

Sr. No.	Name of account	Grant credited	Grant utilised up	Opening balance as	Grant credited			Amount debited	Closing balance	
		up to 31.03.	to 31.03.	on 01.04.	during the year		Non- recurring	Transferred to	Other debite	As on 31.03
					<i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Exps	CPWD/NBCC for Const. work		_
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Central Govt. Grant Plan (non- recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID campuses at NID(Haryana)									
	Total									
	Previous year									

Director

Schedule-5 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31 st March,	
--	--

Current Liabilities

Particulars	31.03	31.03
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Schedule-6 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31 st March,	Schedule	forming pa	rt of the Balanc	e Sheet as at 31	st March,	
--	----------	------------	------------------	------------------	-----------	--

Fixed Assets

Sr.	Particulars	GROSS BLOCK					NET BLOCK				
No.	1 0101001013		RODD BLOCK		Di	EPRECIATION		NET BLOCK			
		As on 01.04	Addition	Sale/ Adjustment	As on 31.03	As on 01.04	For the Year	Sale/ Adjustment	As on 31.03	As on 31.03	As on 31.03
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A 1	IMMOVABLE PROPERTIES (i) Land										
2	Sub-total of 1 NID campus buildings										
			1				1				
	Sub-total of (1+2)										
В	MOVABLE PROPERTIES										
1	Machinery, equipment& tools										
2	Furniture & fixtures										
3	Computers & peripherals										
4	Staff pool vehicles										
5	Library books										
С	Sub-Total of B Capital works in progress										
\vdash			+				1				
\vdash											
\Box							1				
				<u> </u>							
	Sub-Total of C										
\vdash	Grand Total		+ +				+			-	
	PREVIOUS YEAR										

Director

Schedule-7 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31 st March,	
--	--

Investments (At cost)

· · ·		
Particulars	31.03	31.03
Long Term	Rs.	Rs.

Schedule-8 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming	part of the	Balance	Sheet as at 31 st	March,	

Current Assets, Loans, Advances etc.

Current Assets, Loans, Advances etc.		
Particulars	31.03	31.03
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS:		
i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES		
a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		
Total (I+II+III)		

Director

Schedule-8 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31 st March,	Schedule	forming 1	part of the	Balance	Sheet as at 31	st March,	
--	----------	-----------	-------------	---------	----------------	-----------	--

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03	31.03
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS:		
i. Loans:		
a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)	•	

THE	GAZETTE	OF INDIA	· EXTRAORDIN	ARV

ii. Advances:	
Sub-Total (ii)	
Sub-Total (III)	
TOTAL of B (I+II+III)	
TOTAL OF A+B	

Schedule-9 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31	1 st March,
---	------------------------

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03	31.03
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		
Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

Schedule-10 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31 st Ma	rch,
--	------

Fees

Particulars	20	20
	Rs.	Rs.
Total		

Director

Schedule-11 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule for	ming part of tl	ne Income an	d Expenditure	e for the year	ended 31st March,	

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 2020_	
---	--

20	20
20	20

Particulars	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total				
Total				

Schedule-12 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Transfers from Grants & Contributions

11011	Ters from Grants et Commons		
Particulars		20	20
		Rs.	Rs.
Total		0	0

Director

Schedule-13 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Interest earned		
Particulars	20	20
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

Schedule-14
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Establishment expenses

					20	20
Particulars	Non-Plan	Plan recurring expenses		Total	Total of	
	recurring	D 0 D	L 0.1	l m . 1		Non-Plan
	expenses	R & D	Other	Total		and Plan
						recurring expenses
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. &staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	0

Director

Schedule-15 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Other administrative expenses

Othe	er administrati	ive expens	ses			
					20	20 -
Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan Re Expens	es Other	Total	TOTAL	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Travelling expenses Telephone, Telex, Postage Electricity expenses Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges6. Material, Supplies Consumables etc.7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses 9. Welfare, Campus events & Other expenses 10. Library, Journals, Periodical, Subscription						
etc. 11. Student Freeship& Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses13. Rates, Taxes, Cesses14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance16. Legal expenses & Professional fees17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	0

Schedule-16 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA

Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the	Income and Expenditure	for the year ended 31s	^t March.
\mathcal{S}_{Γ}			· · · · ,

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20	20
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

Schedule-17 [See sub-rule 1 of rule 4] NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, HARYANA Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31st March, ______

Notes forming part of accounts

6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:

Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

- i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.
- ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.
- iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.
- iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet.

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &

Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity

2.	Contingent Liabilities Rs	(Previous year Rs)				
3.	Estimated amount of contract ren	naining to be executed on capital	account and not provided for Rs				
	Previous year Rs)					
4.	Deficit for the year	of Rs	(For the year	Rs.			
) has been o	debited to misc. exps, as there is	no specific govt. grant received	for the same			
	during the year.						
5.	Corresponding figures for the pre-	evious year have been regrouped/	rearranged where ever necessary.				
6.	Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.						
Pla	ce:						
Dat	te:						

Director

[F. No. P-24024/53/2020-IPR-V] RAVINDER, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 825(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धित, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'अध्यक्ष' से संस्थान की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
 - (ग) 'निदेशक' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;
 - (घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश अभिप्रेत है ;